भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2675**

उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

**केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय खोलने के लिए मानदंड**

2675. **श्री सुनील कुमार:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) बगहा पुलिस जिले में केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय नहीं होने के क्या कारण हैं, जबकि वाल्मीकि नगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (बिहार) में दो पुलिस जिले हैं और बड़ी संख्या में केंद्रीय संस्थान स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का बगहा पुलिस जिले में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) और (ख): नए केंद्रीय विद्यालय (केवि) खोलना एक सतत् प्रक्रिया है। केवि पूरे देश में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों सहित रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केवि खोलने के प्रस्तावों को भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किए जा सकते हैं जिसमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) के मानदंडों के अनुसार एक नया केवि स्थापित करने के लिए निःशुल्क अपेक्षित भूमि और उपयुक्त किराया-मुक्त अस्थायी आवास को उपलब्ध कराने की

प्रतिबद्धता शामिल होती है। केवि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/जिला/पुलिस जिले के मानदंड पर नहीं खोले जाते हैं।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान में, बिहार राज्य में 01 केवि अर्थात केवि बेतिया, पश्चिम चंपारण सहित 51 केवि कार्यात्मक हैं।

नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय (नवि) खोलने की परिकल्पना की गई है। नए नवि खोलना एक सतत् प्रक्रिया है जो स्थायी भवन के निर्माण के लिए निशुल्क अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने और स्थायी भवन का निर्माण होने तक विद्यालय चलाने के लिए अपेक्षित अस्थायी भवन निशुल्क उपलब्ध कराने की संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की इच्छा पर निर्भर करती है। नए नवि की स्वीकृति और खोलना मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करता है। वर्तमान में, पश्चिम चंपारण जिले में 01 नवि सहित 39 नवि बिहार राज्य में कार्यात्मक हैं।

(ग) और (घ): केविसं से प्राप्त सूचना के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार/जिला प्रशासन से बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा पुलिस जिले में एक नया केवि खोलने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****